

डब्ल्यू-11046/133/95-टीएम/आर एंड डी

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली, 110003

दिनांक: 13/05/2014

सेवा में,

सभी राज्यों के प्रधान सचिव, प्रभारी-ग्रामीण स्वच्छता

विषय: एनबीए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन-आईएचएचएल का निर्माण-कुछ निर्देश जारी- से संबंधित।

महोदय/महोदया,

मैं मंत्रालय की वेबसाइट (आरएंडडी के अधीन) में उपलब्ध ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता अनुसंधान परियोजना वाल्यूम-1 के सारांश को देखने का अनुराध करता हूँ जिसमें आर एंड डी अनुसंधान परियोजना-पेरी-अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में सैप्टिक टैंक प्रणाली के पर्यावरणीय प्रभाव की परियोजना-रिपोर्ट को अपलोड किया गया है। आर एंड डी परियोजना की सिफारिश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो निम्न प्रकार है:-

- I. पेरी-अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में घनी सैटलमेंट की स्थिति में सैप्टिक टैंक के बॉटम और ग्राउंड-वाटर टेबल के बीच सुरक्षा सीमा कम से कम 1 एम, लेकिन अधिमानतः 3 एम होनी चाहिए।
 - II. अन्य सभी दिशाओं में 5 एम की न्यूनतम चाई बनाए रखी जानी चाहिए, यदि क्षेत्र में और अधिक सैप्टिक टैंक प्रणाली लगाई जानी है।
2. सैप्टिक टैंक सहित आईएचएचएल के निर्माण के दौरान आर एंड डी परियोजना के उपरोक्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों का कृपया अनुपालन किया जाए।

भवदीय

(सुजाँय मजुमदार)

निदेशक (एनबीए)

प्रतिलिपि: राज्य एनबीए समन्वयक सभी राज्य